(लोक सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 2014 को पुरःस्थापित रूप में)

2014 का विधेयक संख्यांक 192

[दि कांस्टिट्यूशन (वन हंडरेड ट्वन्टी सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ होने के प्रति निर्देश है।

नए अनुच्छेद 246क का अंतःस्थापन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 246 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध ।

"246क. (1) अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 में किसी बात के होते हुए भी, संसद् और खंड (2) के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान मंडल को, संघ या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी ।

(2) जहां माल या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है वहां संसद् को, माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है ।

स्पष्टीकरण--अनुच्छेद 279क के खंड (5) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर के संबंध में इस अनुच्छेद के उपबंध माल और सेवा कर परिषद् द्वारा सिफारिश की गई तारीख से प्रभावी होंगे ।"।

अनुच्छेद 248 का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 248 के खंड (1) में "संसद्" शब्द के स्थान पर "अनुच्छेद 246क के अधीन रहते हुए, संसद्" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

अनुच्छेद 249 का संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 249 के खंड (1) में "समीचीन है कि संसद्" शब्दों के पश्चात् "अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 250 का संशोधन ।

5. संविधान के अनुच्छेद 250 के खंड (1) में, "प्रवर्तन में है" शब्दों के पश्चात् "अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल या सेवा कर या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 268 का संशोधन ।

6. संविधान के अनुच्छेद 268 के खंड (1) में, "तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 268क का लोप ।

7. संविधान के अनुच्छेद 268क [संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा यथा अंतःस्थापित] का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 269 का संशोधन ।

8. संविधान के अनुच्छेद 269 के खंड (1) में, "(1) माल के क्रय" कोष्ठकों, अंक और शब्दों के स्थान पर "(1) अनुच्छेद 269क में यथा उपबंधित के सिवाय, माल के क्रय" कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

नए अनुच्छेद 269क का अंतःस्थापन ।

9. संविधान के अनुच्छेद 269 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण ।

"269क. (1) अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान प्रदाय पर माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाएंगे तथा उस रीति में जो संसद् द्वारा विधि द्वारा माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर उपबंधित की जाए, संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए भारत के राज्यक्षेत्र में आयात के दौरान माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल या सेवा या दोनों का प्रदाय समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा प्रदाय के स्थान का और इस बात का कि माल या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान कब होता है,

अवधारण करने संबंधी सिद्धांत विरचित कर सकेगी ।"।

10. संविधान के अनुच्छेद 270 में,— अनुच्छेद 270 का संशोधन ।

(i) खंड (1) में, "अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268क और अनुच्छेद 269" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1क) भारत सरकार द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत माल और सेवा कर का भी, अनुच्छेद 269क के खंड (1) के अधीन राज्य के साथ प्रभाजित कर के सिवाय, खंड (2) में उपबंधित रीति में संघ और राज्यों के बीच वितरण किया जाएगा ।" ।

11. संविधान के अनुच्छेद 271 में, "में से किसी में" शब्दों के पश्चात् "अनुच्छेद 246क के अधीन माल और सेवा कर के सिवाय" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे । अनुच्छेद 271 का संशोधन ।

12. संविधान के अनुच्छेद 279 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- नए अनुच्छेद 279क का अंतःस्थापन ।

"279क. (1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिनों के भीतर आदेश द्वारा माल और सेवा कर परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगा । माल और सेवा कर परिषद् ।

(2) माल और सेवा कर परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) संघ का वित्त मंत्री -- अध्यक्ष ;

(ख) संघ का भारसाधक राजस्व या वित्त राज्यमंत्री — सदस्य ;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त या कराधान का भारसाधक मंत्री या कोई अन्य मंत्री -- सदस्य ।

(3) खंड (2) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर परिषद् के सदस्य, यथाशीघ्र ऐसी अवधि के लिए, जो वे विनिश्चित करें, अपने में से एक को परिषद् का उपाध्यक्ष चुनेंगे ।

(4) माल और सेवा कर परिषद् निम्नलिखित के संबंध में संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगी—

(क) संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा उद्‌गृहीत कर, उपकर और अधिभार, जो माल और सेवा कर में सम्मिलित किए जाएंगे ;

(ख) माल और सेवाएं जो माल और सेवा कर के अध्यधीन हो सकेंगी या जिन्हें माल और सेवा कर से छूट प्राप्त हो सकेगी ;

(ग) आदर्श माल और सेवा कर विधियां, एकीकृत माल और सेवा कर के उद्‌ग्रहण, प्रभाजन के सिद्धांत तथा वे सिद्धांत जो प्रदाय के स्थान को शासित करते हैं ;

(घ) आवर्त की वह अवसीमा जिसके नीचे माल और सेवाओं को माल और सेवा कर से छूट प्रदान की जा सकेगी ;

(ङ) माल और सेवा कर के समूहों के साथ दरें जिनके अंतर्गत न्यूनतम दरें भी हैं ;

(च) किसी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें ;

(छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध ; और

(ज) माल और सेवा कर से संबंधित कोई अन्य विषय जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(5) माल और सेवा कर परिषद् उस तारीख की सिफारिश करेगी जिसको अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर उद्‌गृहीत किया जाएगा ।

(6) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करते समय, माल और सेवा कर परिषद् माल और सेवा कर की सामंजस्यपूर्ण संरचना और माल और सेवाओं के लिए सुव्यवस्थित राष्ट्रीय बाजार के विकास की आवश्यकता द्वारा मार्गदर्शित होगी ।

(7) माल और सेवा कर परिषद् की, उसकी बैठकों में गणपूर्ति परिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से मिलकर होगी ।

(8) माल और सेवा कर परिषद् अपने कृत्यों के पालन के लिए प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(9) माल और सेवा कर परिषद् का प्रत्येक विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के अधिमानप्राप्त मतों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा बैठक में निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) केन्द्रीय सरकार के मत को डाले गए कुल मतों के एक-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा ; और

(ख) सभी राज्य सरकारों के मतों को एक साथ लेने पर उस बैठक में डाले गए कुल मतों के दो-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा ।

(10) माल और सेवा कर परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि--

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) परिषद् के किसी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण को प्रभावित नहीं करती है ।

(11) माल और सेवा कर परिषद् उसकी सिफारिश से उद्‌भूत विवादों के समाधान की रीति के बारे में विनिश्चय कर सकेगी ।"।

अनुच्छेद 286 का संशोधन

13. संविधान के अनुच्छेद 286 में,--

(i) खंड (1) में,--

(अ) "माल के क्रय या विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय" शब्दों के

स्थान पर "माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (ख) में, "माल के आयात या उसके" शब्दों के स्थान पर "माल या सेवाओं या दोनों के आयात अथवा माल या सेवाओं या दोनों के" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (2) में, "माल का क्रय या विक्रय" शब्दों के स्थान पर "माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (3) का लोप किया जाएगा ।

14. संविधान के अनुच्छेद 366 में,-- अनुच्छेद 366 का संशोधन ।

(i) खंड (12) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(12क) "माल और सेवा कर" से मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर के प्रदाय पर कर के सिवाय माल या सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय पर कोई कर अभिप्रेत है ;";

(ii) खंड (26) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(26क) "सेवाओं" से माल से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है ;

(26ख) "राज्य" के अंतर्गत, अनुच्छेद 246क, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269क और अनुच्छेद 279क के संदर्भ में, विधान-मंडल सहित संघ राज्यक्षेत्र भी आता है ;' ।

15. संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के खंड (क) में "अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । अनुच्छेद 368 का संशोधन ।

16. संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 8 के उपपैरा (3) में,-- छठी अनुसूची का संशोधन ।

(i) खंड (ग) के अंत में आने वाले शब्द "और" का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) के अंत में, "और" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जएगा, अर्थात् :--

"(ङ) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर ;" ।

17. संविधान की सातवीं अनुसूची में,-- सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

(क) सूची 1 -- संघ सूची में,--

(i) प्रविष्टि 84 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद-शुल्क,--

(क) अपरिष्कृत पैट्रोलियम ;

(ख) उच्च गति डीजल ;

(ग) मोटर स्पिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात) ;

(घ) प्राकृतिक गैस ;

(ङ) विमानन टर्बाइन ईंधन ; और

(च) तंबाकू और तंबाकू उत्पाद ।";

(ii) प्रविष्टि 92 और प्रविष्टि 92ग का लोप किया जाएगा ;

(ख) सूची 2 - राज्य सूची में,--

(i) प्रविष्टि 52 का लोप किया जाएगा ;

(ii) प्रविष्टि 54 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"54. अपरिष्कृत पैट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन ईंधन और मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर के विक्रय पर कर किंतु इसके अंतर्गत ऐसे माल का अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय या अन्तरराष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय नहीं आता है ।";

(iii) प्रविष्टि 55 का लोप किया जाएगा ;

(iv) प्रविष्टि 62 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"62. मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर उस सीमा तक कर जो किसी पंचायत या किसी नगरपालिका या किसी प्रादेशिक परिषद् या किसी जिला परिषद् द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाए ।"।

राज्यों को, दो वर्ष के लिए या परिषद् द्वारा सिफारिश की गई ऐसी अन्य अवधि के लिए माल के प्रदाय पर अतिरिक्त कर सौंपे जाने संबंधी ठहराव ।

18. (1) अनुच्छेद 269क के खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के प्रदाय पर एक प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त कर भारत सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अन्य अवधि के लिए, जिसकी माल और सेवा कर परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगा और ऐसा कर राज्य को खंड (2) में उपबंधित रीति में सौंपा जाएगा ।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में माल के प्रदाय पर अतिरिक्त कर के शुद्ध आगम, संघ राज्यक्षेत्रों के हुए माने जा सकने वाले आगमों के सिवाय, भारत की संचित निधि का भाग नहीं होंगे और उस स्थान से जहां से प्रदाय आरंभ होता है, राज्यों को सौंपे गए समझे जाएंगे ।

(3) भारत सरकार, जहां वह लोक हित में आवश्यक समझे, ऐसे माल को खंड (1) के अधीन कर के उद्‌ग्रहण से छूट प्रदान कर सकेगी ।

(4) संसद्, विधि द्वारा, उस मूल स्थान का, जहां से अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का प्रदाय होता है, अवधारण करने संबंधी सिद्धांत विरचित कर सकेगी ।

माल और सेवा कर के आरंभ किए जाने के कारण राज्यों को राजस्व की हानि के लिए प्रतिकर ।

19. संसद्, विधि द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिश पर, माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उद्‌भूत राजस्व की हानि के लिए राज्यों को ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, प्रतिकर प्रदान कर सकेगी ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

20. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त माल या सेवाओं या दोनों पर कर से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों से असंगत है तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका संशोधन या लोप नहीं किया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता, इनमें जो भी पहले हो ।

कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति ।

21. (1) यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है (जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति की तारीख से ठीक पूर्व यथा विद्यमान संविधान के उपबंधों से इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों में संक्रमण से संबंधित कोई कठिनाई भी है), राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगा, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा संशोधित संविधान के किसी उपबंध या विधि का रूपांतर या उपातंरण है, जो राष्ट्रपति को कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसी स्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के प्रत्येक संव्यवहार पर माल और सेवा कर के उद्ग्रहण की बाबत विधियां बनाने के लिए संघ तथा राज्यों को, जिनके अन्तर्गत विधान-मंडल सहित संघ राज्यक्षेत्र भी हैं, समवर्ती कराधायक शक्तियां प्रदान करने हेतु माल और सेवा कर आरंभ करने के लिए संविधान का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है । माल और सेवा कर संघ और राज्य सरकारों द्वारा उदगृहीत किए जा रहे अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेगा और इसका आशय करों के क्रमप्रपाती प्रभाव को दूर करना और माल और सेवाओं के लिए समान राष्ट्रीय बाजार का उपबंध करना है । प्रस्तावित केन्द्रीय और राज्य माल तथा सेवा कर ऐसी सभी संव्यवहारों पर जिनमें माल और सेवाओं का प्रदाय अंतवर्लित है, उनके सिवाय, जिन्हें माल और सेवा कर की परिधि से बाहर रखा गया है, उदगृहीत किए जाएंगे ।

2. प्रस्तावित विधेयक जो संविधान का और संशोधन करने के लिए है, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के लिए भी उपबंध करता है--

(क) विभिन्न केन्द्रीय अप्रत्यक्ष करों और उद्ग्रहणों का जैसे कि औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के अधीन उदग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिशुल्क (सीवीडी) के रूप में सामान्य रूप से ज्ञात अतिरिक्त सीमाशुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएडी) और उनको केन्द्रीय अधिभार और उपकर का सन्निवेशन जहां तक उनका संबंध माल और सेवाओं के प्रदाय से है ;

(ख) राज्य मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर, मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा उदगृहीत कर से भिन्न) केन्द्रीय विक्रय कर (केन्द्र द्वारा उद्गृहीत और राज्यों द्वारा संगृहीत), चुंगी तथा प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लाटरी, दांव लगाने और द्यूत खेलने पर कर ; तथा राज्य उपकर और अधिभार, जहां तक उनका संबंध माल और सेवाओं के प्रदाय से है ;

(ग) संविधान के अधीन 'विशेष महत्व के घोषित माल' की संकल्पना के त्याग देना ;

(घ) माल और सेवाओं के अंतरराज्यिक संव्यवहारों पर एकीकृत माल और सेवा कर का उद्ग्रहण ;

(ङ) अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के प्रदाय पर एक प्रतिशत से अनधिक के अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण जो भारत सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए संगृहीत किया जाएगा और उन राज्यों को, जहां से प्रदाय आरंभ होता है, सौंपा जाएगा ;

(च) माल और सेवा कर को शासित करने वाली विधियां बनाने के लिए संसद् और राज्य विधान-मंडलों को समवर्ती शक्ति प्रदत्त करना ;

(छ) मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर के सिवाय सभी माल और सेवाओं को माल और सेवा कर के उद्ग्रहण के लिए माल और सेवा कर के अधीन लाना । पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की दशा में यह उपबंध किया गया है कि ये माल, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचित तारीख तक माल और सेवा कर के उद्ग्रहण के अध्यधीन नहीं होंगे ;

(ज) माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के मद्दे उद्भूत राजस्व की हानि के लिए राज्यों को ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, प्रतिकर प्रदान करना ;

(झ) माल और सेवा करों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए माल और सेवा कर परिषद् का सृजन करना और संघ और राज्यों की दरों, छूट सूची और अवसीमा, जैसे परिमापों पर सिफारिशें करना । परिषद् संघ के वित्त मंत्री की अध्यक्षता के अधीन कृत्य करेगी और संघ का राजस्व या वित्त का भारसाधक राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त या कराधान का भारसाधक मंत्री और कोई अन्य मंत्री उसके सदस्य होंगे । यह और उपबंधित है कि परिषद् का प्रत्येक विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के अधिमानप्राप्त मतों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :–

(अ) केन्द्रीय सरकार के मत को उस बैठक में डाले गए कुल मतों के एक-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा ; और

(आ) सभी राज्य सरकारों के मतों को एक साथ लेने पर उस बैठक में डाले गए कुल मतों के दो-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा ।

दृष्टान्त :

प्रस्तावित अनुच्छेद 279क के खंड (9) के निबंधनों के अनुसार, माल और सेवा कर परिषद् में प्रस्ताव के पक्ष में "उपस्थित और मत देने वाले अधिमानप्राप्त मतों" का अवधारण निम्नानुसार किया जाएगा :--

डब्ल्यूटी = डब्ल्यूसी + डब्ल्यूएस

जहां,

$$\text{डब्ल्यूटी} = \text{डब्ल्यूसी} + \text{डब्ल्यूएस} = \left(\frac{\text{डब्ल्यूएसटी}}{\text{एसपी}}\right) X \text{ एसएफ}$$

जिसमें

डब्ल्यूटी = प्रस्ताव के पक्ष में सभी सदस्यों के कुल अधिमानप्राप्त मत ।

डब्ल्यूसी = संघ के अधिमानप्राप्त मत = $^1/_3$ अर्थात् 33.33% यदि संघ प्रस्ताव के पक्ष में है और यदि संघ प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है तो उसे "0" ("शून्य") के रूप में लिया जाएगा ।

डब्ल्यूएस = प्रस्ताव के पक्ष में राज्यों के अधिमानप्राप्त मत ।

एसपी = उपस्थित और मत देने वाले राज्यों की संख्या ।

डब्ल्यूएसटी = उपस्थित और मत देने वाले सभी राज्यों के अधिमानप्राप्त मत = $^2/_3$ अर्थात् 66.67 % ।

एसएफ = प्रस्ताव के पक्ष में मत देने वाले राज्यों की संख्या ;

(ञ) प्रस्तावित विधेयक के खं 20 में ऐसी किसी असंगति को, जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों के प्रारंभ पर किसी राज्य में माल या सेवाओं या दोनों पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के संबंध में एक वर्ष की अवधि के भीतर उद्भूत हो, दूर करने के लिए संक्रमणकालीन उपबंध किया गया है ।

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
18 दिसम्बर, 2014

अरुण जेटली

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 12, संविधान में माल और सेवा कर परिषद् के गठन से संबंधित एक नया अनुच्छेद 279क अंतःस्थापित करने के लिए है । परिषद्, संघ के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कृत्य करेगी और संघ का राजस्व या वित्त का भारसाधक राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त या कराधान का भारसाधक मंत्री या कोई अन्य मंत्री, उसके सदस्य होंगे ।

2. माल और सेवा कर परिषद् के सृजन में कार्यालय व्यय, अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते अंतर्वलित हैं । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि माल और सेवा कर आरंभ करने से भारतीय व्यापार और उद्योग घरेलू रूप से और अंतरराष्ट्रीय रूप से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन जाएगा तथा उससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण रूप से योगदान होगा, परिषद् पर ऐसा अतिरिक्त व्यय अधिक नहीं होगा ।

3. इस प्रक्रम पर, परिषद् के गठन के मद्दे होने वाले आवर्ती और अनावर्ती दोनों व्यय का प्राक्कलन करना कठिन होगा ।

4. इसके अतिरिक्त, माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के मद्दे उद्भूत राजस्व की हानि के लिए, राज्यों को ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, प्रतिकर का उपबंध किया गया है । निश्चित प्रतिकर की गणना, विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने पर ही की जा सकेगी ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 12, माल और सेवा कर परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करने से संबंधित एक नया अनुच्छेद 279क अंतःस्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित नए अनुच्छेद 279क के खंड (1) में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर, आदेश द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करेंगे । उक्त अनुच्छेद के खंड (8) में यह उपबंध है कि परिषद् अपने कृत्यों के पालन के लिए प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

2. वे प्रक्रियाएं, जो माल और सेवा कर परिषद् द्वारा अपने कृत्यों के पालन के लिए अधिकथित की जाएं, प्रक्रिया और ब्यौरों के विषय हैं । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

भारत का संविधान से उद्धरण

*　*　*　*　*　*

अवशिष्ट विधायी शक्तियां ।

248. (1) संसद् को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।

*　*　*　*　*　*

राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति ।

249. (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद् राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है, संसद् के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा ।

*　*　*　*　*　*

यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति ।

250. (1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी ।

*　*　*　*　*　*

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण

संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क ।

268. (1) ऐसे स्टांप-शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क, जो संघ सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाएंगे, किंतु--

(क) उस दशा में, जिसमें ऐसे शुल्क संघ राज्यक्षेत्र के भीतर उद्ग्रहणीय हैं भारत सरकार द्वारा, और

(ख) अन्य दशाओं में जिन-जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय हैं, उन-उन राज्यों द्वारा,

संगृहीत किए जाएंगे ।

*　*　*　*　*　*

संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाने वाला सेवा-कर ।

268क. (1) सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाएंगे और ऐसा कर खंड (2) में उपबंधित रीति से भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाएगा ।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में, खंड (1) के उपबंध के अनुसार उद्गृहीत ऐसे किसी कर के आगमों का--

(क) भारत सरकार और राज्यों द्वारा संग्रहण ;

(ख) भारत सरकार और राज्यों द्वारा विनियोजन,

संग्रहण और विनियोजन के ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा, जिन्हें संसद् विधि द्वारा बनाए ।

269. (1) माल के क्रय या विक्रय पर कर और माल के परेषण पर कर, भारत सरकार द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत किए जाएंगे किन्तु खंड (2) में उपबंधित रीति से राज्यों को 1 अप्रैल, 1996 को या उसके पश्चात् सौंप दिए जाएंगे या सौंप दिए गए समझे जाएंगे । संघ द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए--

(क) "माल के क्रय या विक्रय पर कर" पद से समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर अभिप्रेत है जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है ;

(ख) "माल के परेषण पर कर" पद से माल के परेषण पर (चाहे परेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया हो) उस दशा में कर अभिप्रेत है जिसमें ऐसा परेषण अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है ।

* * * * * *

270. (1) क्रमशः अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268क और अनुच्छेद 269 में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय, संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क ; अनुच्छेद 271 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्‌गृहीत कोई उपकर भारत सरकार द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत किए जाएंगे तथा खंड (2) में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे । उद्‌गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण ।

* * * * * *

271. अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी में किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और किसी ऐसे अधिभार के संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे । कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार ।

* * * * * *

286. (1) राज्य की कोई विधि, माल के क्रय या विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय-- माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन ।

(क) राज्य के बाहर, या

(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में माल के आयात या उसके बाहर निर्यात के दौरान,

होता है वहां, कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या अधिरोपित करना प्राधिकृत नहीं करेगी ।

(2) संसद्, यह अवधारित करने के लिए कि माल का क्रय या विक्रय खंड (1) में वर्णित रीतियों में से किसी रीति से कब होता है विधि द्वारा, सिद्धांत बना सकेगी ।

(3) जहां तक किसी राज्य की कोई विधि--

(क) ऐसे माल के, जो संसद् द्वारा विधि द्वारा अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का माल घोषित किया गया है, क्रय या विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करती है या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करती है ; या

(ख) माल के क्रय या विक्रय पर ऐसा कर अधिरोपित करती है या ऐसे कर का अधिरोपण प्राधिकृत करती है, जो अनुच्छेद 366 के खंड (29क) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति का कर है,

वहां तक वह विधि, उस कर के उद्‌ग्रहण की पद्धति, दरों और अन्य प्रसंगतियों के संबंध में ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी जो संसद् विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

* * * * * *

भाग 20

संविधान का संशोधन

संविधान का संशोधन करने की संसद् की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया ।

368. (1) * * * * *

(2) इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद् के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुरःस्थापित करके ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा :

परंतु यदि ऐसा संशोधन–

(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241 में, या

(ख) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में, या

(ग) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में, या

(घ) संसद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या

(ङ) इस अनुच्छेद के उपबंधों में,

कोई परिवर्तन करने के लिए है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधान-मंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा ।

* * * * * *

छठी अनुसूची

[अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1)]

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध

भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने तथा कर का अधिरोपण करने की शक्तियां

8. (1) * * * * *

(3) स्वशासी जिले की जिला परिषद् को ऐसे जिले के भीतर निम्नलिखित सभी या किन्हीं करों का उद्ग्रहण और संग्रहण करने की शक्ति होगी, अर्थात् :–

* * * * * *

(ग) किसी बाजार में विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर और फेरी से ले जाए जाने वाले यात्रियों और माल पर पथकर ; और

(घ) विद्यालयों, औषधालयों या सड़कों को बनाए रखने के लिए कर ।

* * * * * *

सातवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 246)

सूची 1–संघ सूची

* * * * * *

84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित तंबाकू और अन्य माल पर उत्पाद-शुल्क जिसके अंतर्गत–

(क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर,

(ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ,

नहीं हैं ; किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां हैं जिसमें ऐल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है ।

* * * * * *

92. समाचारपत्रों के क्रय या विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर ।

* * * * * *

92ग. सेवाओं पर कर ।

* * * * * *

सूची 2--राज्य सूची

* * * * * *

52. किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर ।

* * * * * *

54. सूची 1 की प्रविष्टि 92क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर कर ।

55. समाचारपत्रों में प्रकाशित और रेडियो या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनोंट से भिन्न विज्ञापनों पर कर ।

* * * * * *

62. विलास वस्तुओं पर कर, जिसके अंतर्गत मनोरंजन, आमोद, दांव और द्यूत पर कर है ।

* * * * * *

GMGIPMRND—2292LS(CRC)—08.08.2016—3,000 Copies.

[संसद् के दोनों सदनों के द्वारा पारित रूप में--
लोक सभा --------- 6 मई, 2015
राज्य सभा --------- 3 अगस्त, 2016
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर
लोक सभा द्वारा सहमति दी गई --------- 8 अगस्त, 2016]

2014 का विधेयक संख्यांक 192-एफ

[दि कांस्टिट्यूशन (वन हंडरेड ट्वन्टी सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014

(संसद् के दोनों सदनों के द्वारा पारित रूप में)

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ होने के प्रति निर्देश है ।

नए अनुच्छेद 246क का अंतःस्थापन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 246 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध ।

"246क. (1) अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 में किसी बात के होते हए भी, संसद् को और खंड (2) के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान मंडल को, संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी ।

(2) जहां माल का या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता है वहां संसद् को, माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है ।

स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 279क के खंड (5) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर के संबंध में, माल और सेवा कर परिषद् द्वारा सिफारिश की गई तारीख से प्रभावी होंगे ।"।

अनुच्छेद 248 का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 248 के खंड (1) में "संसद्" शब्द के स्थान पर "अनुच्छेद 246क के अधीन रहते हुए, संसद्" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

अनुच्छेद 249 का संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 249 के खंड (1) में "समीचीन है कि संसद्" शब्दों के पश्चात् "अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 250 का संशोधन ।

5. संविधान के अनुच्छेद 250 के खंड (1) में, "प्रवर्तन में है" शब्दों के पश्चात् "अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल या सेवा कर या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 268 का संशोधन ।

6. संविधान के अनुच्छेद 268 के खंड (1) में, "तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 268क का लोप ।

7. संविधान के अनुच्छेद 268क, जो संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है, का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 269 का संशोधन ।

8. संविधान के अनुच्छेद 269 के खंड (1) में, "(1) माल के क्रय" कोष्ठकों, अंक और शब्दों के स्थान पर "(1) अनुच्छेद 269क में यथा उपबंधित के सिवाय, माल के क्रय" कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

नए अनुच्छेद 269क का अंतःस्थापन ।

9. संविधान के अनुच्छेद 269 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण ।

"269क. (1) अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय पर माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा तथा ऐसा कर उस रीति में, जो संसद् द्वारा, विधि द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर उपबंधित किया जाए, संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, भारत के राज्यक्षेत्र में आयात के अनुक्रम में माल के या सेवाओं के या दोनों के प्रदाय को अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रदाय समझा जाएगा ।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य को प्रभाजित रकम भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी ।

(3) जहां खंड (1) के अधीन उद्गृहीत कर के रूप में संगृहीत रकम का

उपयोग अनुच्छेद 246क के अधीन किसी राज्य द्वारा उद्गृहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है, वहां ऐसी रकम भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी ।

(4) जहां अनुच्छेद 246क के अधीन किसी राज्य द्वारा उद्गृहीत कर के रूप में संगृहीत रकम का उपयोग खंड (1) के अधीन उद्गृहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है, वहां ऐसी रकम राज्य की संचित निधि का भाग नहीं होगी ।

(5) संसद्, विधि द्वारा, प्रदाय के स्थान का और इस बात का कि माल का या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में कब होता है, अवधारण करने संबंधी सिद्धांत विरचित कर सकेगी ।"।

अनुच्छेद 270 का संशोधन ।

10. संविधान के अनुच्छेद 270 में,--

(i) खंड (1) में, "अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268क और अनुच्छेद 269" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(1क) अनुच्छेद 246क के खंड (1) के अधीन संघ द्वारा संगृहीत कर भी, संघ और राज्यों के बीच खंड (2) में उपबंधित रीति में वितरित किया जाएगा ।

(1ख) अनुच्छेद 246क के खंड (2) और अनुच्छेद 269क के अधीन संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसा कर, जिसका उपयोग अनुच्छेद 246क के खंड (1) के अधीन संघ द्वारा उद्गृहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है, और अनुच्छेद 269क के खंड (1) के अधीन संघ को प्रभाजित रकम भी, संघ और राज्यों के बीच खंड (2) में उपबंधित रीति में वितरित की जाएगी ।" ।

अनुच्छेद 271 का संशोधन ।

11. संविधान के अनुच्छेद 271 में, "में से किसी में" शब्दों के पश्चात्, ", अनुच्छेद 246क के अधीन माल और सेवा कर के सिवाय," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नए अनुच्छेद 279क का अंतःस्थापन ।

12. संविधान के अनुच्छेद 279 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

माल और सेवा कर परिषद् ।

"279क. (1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर, आदेश द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगा ।

(2) माल और सेवा कर परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) संघ का वित्त मंत्री -- अध्यक्ष ;

(ख) संघ का भारसाधक राजस्व या वित्त राज्यमंत्री -- सदस्य ;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त या कराधान का भारसाधक मंत्री या कोई अन्य मंत्री -- सदस्य ।

(3) खंड (2) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर परिषद् के सदस्य,

यथाशीघ्र अपने में से एक सदस्य को ऐसी अवधि के लिए, जो वे विनिश्चित करें, परिषद् का उपाध्यक्ष चुनेंगे ।

(4) माल और सेवा कर परिषद्, निम्नलिखित के संबंध में संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगी--

(क) संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा उद्गृहीत कर, उपकर और अधिभार, जो माल और सेवा कर में सम्मिलित किए जाएंगे ;

(ख) माल और सेवाएं जो माल और सेवा कर के अध्यधीन हो सकेंगी या जिन्हें माल और सेवा कर से छूट प्राप्त हो सकेगी ;

(ग) आदर्श माल और सेवा कर विधियां, अनुच्छेद 269क के अधीन अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय माल पर उदगृहीत माल और सेवा कर के उद्ग्रहण, प्रभाजन के सिद्धांत तथा वे सिद्धांत जो प्रदाय के स्थान को शासित करते हैं ;

(घ) आवर्त की वह अवसीमा जिसके नीचे माल और सेवाओं को माल और सेवा कर से छूट प्रदान की जा सकेगी ;

(ङ) माल और सेवा कर के समूहों के साथ दरें जिनके अंतर्गत न्यूनतम दरें भी हैं ;

(च) किसी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें ;

(छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध ; और

(ज) माल और सेवा कर से संबंधित कोई अन्य विषय, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(5) माल और सेवा कर परिषद् उस तारीख की सिफारिश करेगी जिसको अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर उद्‌गृहीत किया जाएगा ।

(6) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करते समय, माल और सेवा कर परिषद् माल और सेवा कर की सामंजस्यपूर्ण संरचना और माल और सेवाओं के लिए सुव्यवस्थित राष्ट्रीय बाजार के विकास की आवश्यकता द्वारा मार्गदर्शित होगी ।

(7) माल और सेवा कर परिषद् की, उसकी बैठकों में गणपूर्ति परिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से मिलकर होगी ।

(8) माल और सेवा कर परिषद् अपने कृत्यों के पालन के लिए प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(9) माल और सेवा कर परिषद् का प्रत्येक विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के अधिमानप्राप्त मतों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा बैठक में निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) केन्द्रीय सरकार के मत को डाले गए कुल मतों के एक-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा ; और

(ख) सभी राज्य सरकारों के मतों को एक साथ लेने पर उस बैठक में डाले

गए कुल मतों के दो-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा ।

(10) माल और सेवा कर परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि--

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) परिषद् के किसी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण को प्रभावित नहीं करती है ।

(11) माल और सेवा कर परिषद्,--

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच ; या

(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच ; या

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच,

परिषद् की सिफारिशों या उनके कार्यान्वयन से उद्भूत किसी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगी ।"।

अनुच्छेद 286 का संशोधन ।

13. संविधान के अनुच्छेद 286 में,--

(i) खंड (1) में,--

(अ) "माल के क्रय या विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय" शब्दों के स्थान पर "माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (ख) में, "माल के आयात या उसके" शब्दों के स्थान पर, "माल के या सेवाओं के या दोनों के आयात अथवा माल के या सेवाओं के या दोनों के" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (2) में, "माल का क्रय या विक्रय" शब्दों के स्थान पर "माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रदाय" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (3) का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 366 का संशोधन ।

14. संविधान के अनुच्छेद 366 में,--

(i) खंड (12) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(12क) "माल और सेवा कर" से मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर के प्रदाय पर कर के सिवाय माल या सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय पर कोई कर अभिप्रेत है ;";

(ii) खंड (26) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(26क) "सेवाओं" से माल से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है ;

(26ख) "राज्य" के अंतर्गत, अनुच्छेद 246क, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269,

अनुच्छेद 269क और अनुच्छेद 279क के संदर्भ में, विधान-मंडल सहित कोई संघ राज्यक्षेत्र भी आता है ;'।

अनुच्छेद 368 का संशोधन ।

15. संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के खंड (क) में, "अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

छठी अनुसूची का संशोधन ।

16. संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 8 के उपपैरा (3) में,--

(i) खंड (ग) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) के अंत में, "और" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जएगा, अर्थात् :--

"(ङ) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर ;"।

सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

17. संविधान की सातवीं अनुसूची में,--

(क) सूची 1 -- संघ सूची में,--

(i) प्रविष्टि 84 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद-शुल्क,--

(क) अपरिष्कृत पैट्रोलियम ;

(ख) उच्च गति डीजल ;

(ग) मोटर स्पिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात) ;

(घ) प्राकृतिक गैस ;

(ङ) विमानन टर्बाइन ईंधन ; और

(च) तंबाकू और तंबाकू उत्पाद ।";

(ii) प्रविष्टि 92 और प्रविष्टि 92ग का लोप किया जाएगा ;

(ख) सूची 2 -- राज्य सूची में,--

(i) प्रविष्टि 52 का लोप किया जाएगा ;

(ii) प्रविष्टि 54 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"54. अपरिष्कृत पैट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन ईंधन और मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर के विक्रय पर कर किंतु इसके अंतर्गत ऐसे माल का अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय या अन्तरराष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय नहीं आता है ।";

(iii) प्रविष्टि 55 का लोप किया जाएगा ;

(iv) प्रविष्टि 62 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी,

अर्थात् :—

> "62. मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर उस सीमा तक कर जो किसी पंचायत या किसी नगरपालिका या किसी प्रादेशिक परिषद् या किसी जिला परिषद् द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाए ।"।

माल और सेवा कर के आरंभ किए जाने के कारण राज्यों को राजस्व की हानि के लिए प्रतिकर ।

18. संसद्, विधि द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिश पर, माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उद्भूत राजस्व की हानि के लिए राज्यों को पांच वर्ष की अवधि तक प्रतिकर प्रदान करेगी ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

19. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त माल या सेवाओं या दोनों पर कर से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों से असंगत है तब तक जब तक कि किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका संशोधन या लोप नहीं किया जाता है या जब तक कि ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता, इनमें जो भी पहले हो, प्रवृत्त बना रहेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति ।

20. (1) यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है (जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति की तारीख से ठीक पूर्व यथा विद्यमान संविधान के उपबंधों से इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों में संक्रमण से संबंधित कोई कठिनाई भी है), राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा संशोधित संविधान के किसी उपबंध या विधि का कोई अनुकूलन या उपातंरण भी है, जो राष्ट्रपति को कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगा:

परन्तु ऐसी स्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

GMGIPMRND—2300LS(CRC)—8-8-2016.